
परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग-क
(संदर्भ: कंडिका 1.1)

झारखण्ड की रूपरेखा								
क. सामान्य आँकड़े								
क्र.सं.	विवरण				आँकड़े			
1	क्षेत्रफल				79,716 वर्ग कि.मी.			
2	जनसंख्या							
	क.	2011			3.33 करोड़			
	ख.	2024			4.00 करोड़			
3	क.	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.			
	ख.	जनसंख्या का घनत्व ² (2023-24 के अनुमानित जनसंख्या के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			501.32 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.			
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) (2011-12) ³ (अखिल भारतीय औसत = 21.92%)				36.96 प्रतिशत			
5	साक्षरता ⁴ (अखिल भारतीय औसत = 73%)				66.40 प्रतिशत			
6	शिशु मृत्यु दर ⁵ (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)				25			
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ⁶ (भारतीय = 70 वर्ष)				69.6 वर्ष			
8	मानव विकास सूचकांक ⁷							
	क.	2021 (अखिल भारतीय = 0.633)			उपलब्ध नहीं			
	ख.	2022 (अखिल भारतीय = 0.644)			उपलब्ध नहीं			
9	2023-24 में चालू मूल्य (2011-12 श्रृंखला) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ⁸				₹ 4,61,010 करोड़			
10	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सी.ए.जी.आर. (2014-15 से 2023-24)		झारखण्ड		7.11 प्रतिशत			
			अखिल भारतीय		8.89 प्रतिशत			
11	जीएसडीपी सी.ए.जी.आर. (2014-15 से 2023-24)		झारखण्ड		8.65 प्रतिशत			
			अखिल भारतीय		10.06 प्रतिशत			
12	जनसंख्या वृद्धि (2014 से 2024)		झारखण्ड		15.25 प्रतिशत			
			अखिल भारतीय		11.26 प्रतिशत			
ख. वित्तीय आँकड़े								
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)					
			वृद्धि		2021-22 से 2022-23		2022-23 से 2023-24	
			सामान्य राज्य	झारखण्ड	सामान्य राज्य	झारखण्ड		
1	क.	राजस्व प्राप्तियों का	13.41	15.09	8.19	9.57		
2	ख.	स्वयं कर राजस्व का	19.80	17.98	10.58	11.50		
3	ग.	गैर-कर राजस्व का	12.94	27.91	14.62	4.64		
4	घ.	कुल व्यय का	12.53	15.34	10.56	19.58		
5	ड.	पूँजीगत व्यय का	18.92	68.15	19.85	36.40		
6	च.	पूँजीगत परिव्यय	14.18	49.47	26.16	46.76		
7	छ.	ऋण एवं अग्रिम संवितरण	75.21	187.84	-28.93	1.89		
8	ज.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	13.21	4.17	5.11	1.05		
9	झ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	0.88	7.53	10.34	4.61		
10	ञ.	वेतन एवं मजदूरी का	9.71	6.63	7.52	5.26		
11	ट.	पेंशन का	11.38	2.48	6.27	15.52		

¹ सेन्सस इन्फो इंडिया 2011, कुल अंतिम जनसंख्या

² राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत एवं राज्यों के जनसंख्या अनुमान 2011-36

³ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम अनुपालन मंत्रालय

⁴ जनगणना 2011

⁵ एसआरएस बुलेटिन (2020)

⁶ एसआरएस अब्रिज्ड लाइफ टेबल 2016-20, भारत के महारजिस्ट्रार

⁷ यूएनडीपी रिपोर्ट एचडीआर 2023/2024

⁸ आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड

परिशिष्ट 1.1 भाग-ख
सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप
(सन्दर्भ: कंडिका 1.3)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि और (iii) लोक लेखा।	
भाग-I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि का निर्माण करेगी।	
भाग-II: आकस्मिक निधि: संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिक निधि एक इम्प्रेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और समेकित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिक निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।	
भाग-III: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।	
भाग-ग: वित्त लेखे का अभिन्यास	
विवरण	अभिन्यास
विवरण सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरण सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरण सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरण सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशकृत भी करती है।
विवरण सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरण सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरण सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणी समूह के अनुसार) जैसा विवरण-1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी वसूलियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरण सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरण सं. 11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरण सं. 12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरण सं. 13	समेकित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 15	यह लघु शीर्षवार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरण सं. 16	वर्ष 2023-24 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरण सं. 17	यह लघु शीर्षवार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरण सं. 18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2024 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 19	वर्ष 2023-24 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरण सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरण सं. 21	आकस्मिक निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरण सं. 22	रक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 2.1
वर्ष 2023-24 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 2.2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2022-23		2023-24		2022-23		2023-24			
	भाग - क: राजस्व					स्थापना	राज्य एवं केन्द्रीय योजना	कुल	
80,245.22	I. राजस्व प्राप्तियाँ		87,928.50	66,681.64	I. राजस्व व्यय	36,536.69	40,139.73	76,676.42	76,676.42
25,117.51	कर राजस्व	28,004.77		23,261.05	सामान्य सेवाएँ	25,032.31	558.03	25,590.34	
				27,640.00	सामाजिक सेवाएँ	9,277.09	19,431.61	28,708.70	
12,830.05	गैर-कर राजस्व	13,425.12		11,653.54	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	6,638.53	5,188.10	11,826.63	
				4,660.51	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,487.64	3,387.83	4,875.47	
31,404.12	संघीय करों में राज्य के हिस्से	37,352.35		2,282.40	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	340.87	1,241.55	1,582.42	
1,826.59	वित्त आयोग अनुदान	2,378.28		212.48	सूचना एवं प्रसारण	168.77	178.42	347.19	
2,195.16	राज्य को अन्य अनुदान	501.27		2,447.64	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	146.99	1,885.41	2,032.40	
6,871.79	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	6,266.71		515.00	श्रम एवं श्रम कल्याण	58.90	767.77	826.67	
				5,843.08	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	397.23	6,782.53	7,179.76	
				25.35	अन्य	38.16	0.00	38.16	
				15,780.59	आर्थिक सेवाएँ	2,227.29	20,150.09	22,377.38	
				2,758.00	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	554.71	2,284.73	2,839.44	
				6,238.85	ग्रामीण विकास	579.25	6,142.37	6,721.62	
				377.99	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	396.94	-0.04	396.90	
				3,531.08	उर्जा	-4.81	9,554.10	9,549.29	
				309.53	उद्योग एवं खनिज	36.82	292.52	329.34	
				549.05	परिवहन	484.13	113.66	597.79	
				2,016.09	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	180.25	1,762.75	1,943.00	
				0.00	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	
				66,681.64	कुल	36,536.69	40,139.73	76,676.42	
	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा			13,563.58	II. राजस्व आधिक्य खण्ड ख				11,252.08
80,245.22	कुल		87,928.50	80,245.22	कुल				87,928.50
भाग- ख									
5,572.70	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी		6,682.68	0.00	III. भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट का				0.00

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2022-23		2023-24		2022-23		2023-24			
	अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित				आरंभिक शेष				
0.00	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		0.00	14,015.59	IV. पूँजीगत परिव्यय	287.32	20,282.37	20,569.69	20,569.69
				872.98	सामान्य सेवाएँ	-0.73	969.52	968.79	
				5,220.99	सामाजिक सेवाएँ	0.31	6,613.85	6,614.16	
				1,011.79	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0.56	746.72	747.28	
				624.50	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-0.25	650.72	650.47	
				2,668.59	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.00	4,196.17	4,196.17	
				0.05	सूचना एवं प्रसारण	0.00	5.67	5.67	
				848.33	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0.00	877.72	877.72	
				42.60	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	131.43	131.43	
				25.13	अन्य	0.00	5.42	5.42	
				7,921.62	आर्थिक सेवाएँ	287.74	12,699.00	12,986.74	
				654.48	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	-1.29	908.62	907.33	
				2,219.59	ग्रामीण विकास	287.73	3,226.36	3,514.09	
				1,373.71	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,506.66	1,506.66	
				153.96	ऊर्जा	0.00	1,605.78	1,605.78	
				3.00	उद्योग और खनिज	0.00	163.42	163.42	
				3,437.50	परिवहन	0.00	5,259.56	5,259.56	
				79.38	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1.30	28.60	29.90	
46.41	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		7,276.70	4,211.14	V. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	63.10	4,227.75	4,290.85	4,290.85
0.00	ऊर्जा परियोजनाओं से	7,230.80		4,057.71	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	0.00	4,227.75	4,227.75	
46.22	सरकारी सेवकों से	44.87		40.55	सरकारी सेवकों को	32.56	0.00	32.56	
0.19	अन्य से	1.03		112.88	अन्य को	30.54	0.00	30.54	
13,563.59	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		11,252.08		VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा				0.00
9,142.30	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		8,247.13	6,729.46	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान			6,384.02	6,384.02
0.00	वाह्य ऋण	0.00		0.00	वाह्य ऋण			0.00	
5,515.20	अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	3,120.45		6,473.08	अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण			6,042.06	
0.00	अर्थापय अग्रिम के अंतर्गत निवल	0.00		0.00	अर्थापय अग्रिम के अंतर्गत निवल			0.00	

प्राप्तियाँ				संवितरण			
2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	लेनदेन				लेनदेन		
0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	0.00		0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन		0.00
3,627.10	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	5,126.68		256.38	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान		341.96
0.00	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोग		0.00	0.00	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोग		0.00
0.00	IX. आकस्मिक निधि को अंतरित राशि		0.00	0.00	IX. आकस्मिक निधि से व्यय		0.00
33,446.29	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		51,123.39	30,132.42	X. लोक लेखा संवितरण		42,601.81
1,397.48	लघु बचत एवं भविष्य निधि	1,988.30		1,381.69	लघु बचत एवं भविष्य निधि		1,447.85
361.56	रक्षित निधि	3,113.86		1,170.25	रक्षित निधि		249.99
500.00	कर्णाकित निधियों में निवेश	1,267.08					
519.39	उचंत एवं विविध	635.81		224.34	उचंत एवं विविध		667.66
9,397.23	प्रेषण	13,118.70		9,433.32	प्रेषण		13,147.16
21,270.63	जमा एवं अग्रिम	30,999.64		17,922.82	जमा एवं अग्रिम		27,089.15
0.00	अंतर्राज्यीय समायोजन	0.00		0.00	अंतर्राज्यीय समायोजन		0.00
0.00	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष		0.00	6,682.68	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष		10,735.61
				0.00	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण		0.00
				91.07	रिजर्व बैंक में जमा		-86.66
				38.33	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष		37.06
				1,403.87	कर्णाकित निधि का निवेश		2,670.95
				5,149.41	रोकड़ शेष का निवेश		8,114.26
1,42,016.51	कुल	1,72,510.48		1,42,016.51	कुल		1,72,510.48

परिशिष्ट 2.2
राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 2.3.2.1 एवं 2.4)

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग - क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	58,417	56,150	69,722	80,245	87,929
(i) स्वयं कर राजस्व	16,771	16,880	21,290	25,118	28,005
वस्तु एवं सेवा कर	8,418	7,931	9,557	11,375	12,348
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,996	4,301	5,213	6,271	6,949
राज्य उत्पाद	2,009	1,821	1,807	2,057	2,376
वाहनों पर कर	1,129	976	1,263	1,574	1,756
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	560	708	987	1,108	1,468
भू-राजस्व	338	873	1,621	1,557	1,666
विद्युत् पर कर एवं शुल्क	236	195	792	1,132	1,395
अन्य कर	85	75	49	44	46
(ii) कर भिन्न राजस्व	8,750	7,564	10,031	12,830	13,425
(iii) संचयी करों एवं शुल्कों में राज्यांश	20,593	19,712	27,735	31,404	37,352
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	12,303	11,993	10,667	10,894	9,146
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	49	49	1,292	46	7,277
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	58,466	56,199	71,014	80,292	95,205
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,593	13,547	9,840	9,142	8,247
आंतरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	9,167	10,958	6,594	5,515	3,120
अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	426	2,588	3,246	3,627	5,127
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	68,059	69,745	80,853	89,434	1,03,452
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	0	0	0	0	63
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	33,243	28,511	24,644	33,446	51,123
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,01,302	98,256	1,05,497	1,22,880	1,54,639
भाग - ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	56,457	59,264	62,778	66,682	76,676
राज्य योजनाएँ, के.प्रा.रा.यो., के.प्रा.यो.	27,627	28,370	32,160	32,353	40,140
स्थापना	28,830	30,894	30,618	34,329	36,536
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	18,714	19,903	21,555	23,261	25,590
सामाजिक सेवाएँ	21,448	23,347	24,639	27,640	28,709
आर्थिक सेवाएँ	16,294	16,014	16,583	15,781	22,377
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1	0	0	0	0
11. पूँजीगत परिव्यय	9,879	8,466	9,377	14,016	20,570
राज्य योजनाएँ, के.प्रा.रा.यो., के.प्रा.यो.	9,832	8,401	9,377	14,016	20,282

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्थापना	47	65	0	0	287
सामान्य सेवाएँ	1,239	771	734	873	969
सामाजिक सेवाएँ	1,431	1,492	1,595	5,221	6,614
आर्थिक सेवाएँ	7,209	6,203	7,047	7,922	12,987
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	165	3,380	1,463	4,211	4,291
13. कुल व्यय (10+11+12)	66,501	71,109	73,618	84,908	1,01,537
14. लोक ऋण की अदायगी	4,231	2,745	4,247	6,729	6,384
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4,058	2,547	4,013	6,473	6,042
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	173	198	234	256	342
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	0	0	0	0	0
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	70,732	73,854	77,865	91,638	1,07,984
17. आकस्मिक निधि संवितरण	0	0	0	0	0
18. लोक लेखा संवितरण	27,903	24,146	25,780	6,729	42,602
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	98,635	98,000	1,03,645	98,367	1,50,586
भाग-ग घाटे					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	1,960	-3,114	6,944	13,564	11,252
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	-8,035	-14,911	-2,604	-4,617	-6,332
22. प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (21-23)	-2,727	-9,120	3,682	1,622	507
भाग-घ अन्य आँकड़े					
23. प्राथमिक राजस्व शेष (गैर-ऋण प्राप्त -प्राथमिक राजस्व व्यय)	7,317	2,725	14,522	19,848	25,368
24. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	5,308	5,790	6,286	6,238	6,839
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	19,191	20,078	19,630	22,194	30,038
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	16	0	16	0	0
उपभोगित अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	16	0	16	0	0
उपभोगित ओवरड्राफ्ट (दिन)	0	0	0	0	0
27. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	4	0	46	0	0
28 (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) [@]	3,10,305	2,96,664	3,76,127	4,17,361	4,61,010
28. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) [@]	2,31,755	2,19,483	2,45,856	2,65,121	2,85,070
29. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	94,407	1,09,185	1,13,483	1,18,448	1,27,609
30. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	607	607	607	4,998	4,998

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
31. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	450	607	607	4,998	4,998
32. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	378	374	274	209	168
33. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	3,828	4,669	4,040	3,292	3,137
भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	5.40	5.69	5.66	6.02	6.07
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	7.24	7.69	8.66	9.47	9.82
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	2.82	2.55	2.67	3.07	2.91
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	3.78	3.45	4.08	4.84	4.71
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	6.64	6.64	7.37	7.52	8.10
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	5.31	5.46	4.34	4.11	3.21
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	21.43	23.97	19.57	20.34	22.02
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	28.69	32.40	29.94	32.03	35.62
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	113.84	126.64	105.59	105.81	115.48
राजस्व व्यय/कुल व्यय	84.90	83.34	85.28	78.53	75.52
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	34.44	34.96	35.66	38.70	34.81
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	35.48	35.96	34.02	32.82	39.00
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.86	11.91	12.74	16.51	20.26
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	12.99	10.82	11.74	15.48	19.30
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	0.63	-1.05	1.85	3.25	2.44
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	0.85	-1.42	2.82	5.12	3.95
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	-2.59	-5.03	-0.69	-1.11	-1.37
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	-3.47	-6.79	-1.06	-1.74	-2.22
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	-0.88	-3.07	0.98	0.39	0.11
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	-1.18	-4.16	1.50	0.61	0.18
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-24	21	-267	-294	-178

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	2.36	0.92	3.86	4.76	5.50
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	3.16	1.24	5.91	7.49	8.90
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी	30.42	36.80	30.17	28.38	27.68
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी	40.74	49.75	46.16	44.68	44.76
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	161.61	194.45	162.76	147.61	145.13
ऋण स्थिरीकरण (प्राथमिक शेष + क्वांटम प्रसार)	-7,292.46	-18,931.44	20,886.44	5,312.47	3,604.93
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	117.66	112.40	117.97	128.38	134.73
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सरकारी कर्मचारी को ऋण एवं अग्रिम	52.51	4.46	31.68	40.55	32.56
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	24.00	22.91	16.27	2.14	27.12
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	89.00	3,352.40	1,415.03	4,168.45	4,231.17
परिसंपत्तियाँ	1,11,869	1,23,935	1,35,335	1,54,624	1,76,243
दायित्व	95,080	1,10,260	1,14,717	1,20,441	1,30,808

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

परिशिष्ट 2.3

31.03.2024 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: कंडिका 2.5.4)

(₹ करोड़ में)

31.03.2023 को	दायित्व	31.03.2024 को
73,580.43	आंतरिक ऋण	70,658.82
55,812.65	ब्याज सहित बाजार ऋण	53,862.67
0.04	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.02
5.59	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	5.59
4,447.39	मुआवजा और अन्य बांड	3,892.05
8,066.85	अन्य संस्थाओं से ऋण	8,420.06
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00
5,247.91	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	4,478.43
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0.00
11,363.95	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	16,148.68
0.00	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.00
8.80	गैर योजना ऋण	7.09
1,316.17	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	1,178.95
10,038.98	राज्य के लिए अन्य ऋण	14,962.64
500.00	आकस्मिक निधि	500.00
1,016.98	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,557.43
26,955.09	जमा	30,847.92
6,535.66	रक्षित निधि	10,666.62
76.55	अंतरण शेष	48.08
412.70	उचत एवं विविध शेष	380.83
34,182.37	व्यय से अधिक समेकित आधिक्य की प्राप्ति	45,434.45
1,54,623.73	कुल	1,76,242.83
परिसम्पत्तियाँ		
1,19,410.18	अचल सम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	1,39,979.87
2,363.84	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	4,023.12
1,17,046.34	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,35,956.75
0.00	अन्तरीज्यीय समायोजन	0.00
28,513.21	ऋण एवं अग्रिम	25,527.35
27,518.55	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	24,515.50
1,030.49	अन्य विकास ऋण	1,059.99
-35.83	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-48.14
17.66	अग्रिम	0.00
0.00	उचत एवं विविध शेष	0.00
6,682.68	नकद	10,735.61
0.00	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
91.07	रिजर्व बैंक में जमा	-86.66
1,403.87	जमा निधि का निवेश	2,670.95
38.33	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	37.06
5,149.41	नकद शेष निवेश	8,114.26
0.00	प्रेषण शेष	0.00
0.00	सरकारी लेखे में घाटा	0.00
	(i) वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य	
	(ii) विविध घाटा	
	वर्ष के आरंभ में समेकित घाटा/आधिक्य	
1,54,623.73	कुल	1,76,242.83

परिशिष्ट 3.1

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 3.2.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1.	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,290.14	26.48	1,213.58	1,103.04
2.	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	493.81	7.14	318.16	182.79
3.	3- भवन निर्माण विभाग	135.74	3.17	97.36	41.55
4.	8- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	74.30	0.58	41.49	33.39
5.	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	292.44	11.96	174.93	129.47
6.	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	38.83	1.15	33.49	6.49
7.	12- वित्त विभाग	56.72	13.82	43.63	26.91
8.	16- वित्त अंकेक्षण	2.67	0.50	2.15	1.02
9.	17- वाणिज्य कर विभाग	111.18	3.32	91.59	22.91
10.	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,690.15	527.27	1,775.24	1,442.18
11.	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,147.70	637.49	1,127.83	657.36
12.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,986.62	260.83	4,902.85	1,344.60
13.	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,876.65	88.93	1,474.21	491.37
14.	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	6,819.84	581.85	6,534.50	867.19
15.	23- उद्योग विभाग	461.39	23.36	321.23	163.52
16.	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	896.53	10.98	842.59	64.92
17.	27- विधि विभाग	790.65	266.35	573.47	483.53
18.	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	4.01	1.01	2.23	2.79
19.	32- विधान सभा	143.42	2.63	127.70	18.35
20.	35- योजना एवं विकास विभाग	341.49	11.16	329.38	23.27
21.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	323.24	530.76	277.37	576.63
22.	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	28.35	5.00	23.05	10.30
23.	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,601.34	1,164.56	1,057.11	1,708.79
24.	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	678.41	55.77	632.69	101.49
25.	41- पथ निर्माण विभाग	556.79	24.48	480.73	100.54

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदानों की नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
26.	42- ग्रामीण विकास विभाग	7,441.08	1,795.10	4,627.88	4,608.30
27.	43- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	266.29	62.65	257.11	71.83
28.	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	302.10	6.40	115.71	192.79
29.	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन विभाग)	112.20	0.66	87.12	25.74
30.	47- परिवहन विभाग	180.32	30.05	118.46	91.91
31.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,452.61	1,598.09	1,256.23	2,794.47
32.	49- जल संसाधन विभाग	384.29	2.27	332.70	53.86
33.	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2,231.49	838.40	2,039.14	1,030.75
34.	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	168.93	8.00	136.35	40.58
35.	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	410.74	187.81	292.50	306.05
36.	55- ग्रामीण कार्य विभाग	1,421.67	360.98	453.22	1,329.43
37.	56- पंचायती राज विभाग	1,961.97	701.03	1,748.18	914.82
38.	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2,872.19	16.52	2,567.10	321.61
39.	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,818.95	177.74	7,382.24	1,614.45
40.	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	7,041.64	805.95	6,209.87	1,637.72
कुल		63,908.88	10,852.20	50,122.37	24,638.71
राजस्व (भारित)					
41.	5- राज्यपाल का सचिवालय	15.05	1.30	12.32	4.03
42.	14- ऋण की अदायगी	567.00	300.00	567.00	300.00
43.	28- झारखण्ड उच्च न्यायालय	148.22	10.90	149.78	9.34
कुल		730.27	312.20	729.10	313.37
पूँजीगत (दत्तमत)					
44.	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	514.00	8.32	472.02	50.30
45.	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	20.00	9.25	9.24	20.01
46.	3- भवन निर्माण विभाग	567.00	50.00	485.11	131.89
47.	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	401.00	41.70	379.45	63.25
48.	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	60.00	0.83	0.24	60.59
49.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1,054.28	528.93	650.78	932.43

क्र. सं.	अनुदानों की नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
50.	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	737.07	323.28	603.08	457.27
51.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4,048.97	911.49	3,467.14	1,493.32
52.	41- सड़क निर्माण विभाग	5,300.00	415.00	5,214.11	500.89
53.	42- ग्रामीण विकास विभाग	724.61	1.00	166.42	559.19
54.	47- परिवहन विभाग	88.99	5.00	23.30	70.69
55.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	852.98	6.65	611.61	248.02
56.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	248.45	32.00	22.60	257.85
57.	52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	60.10	1.25	58.49	2.86
कुल		14,677.45	2,334.70	12,163.59	4,848.56
कुल योग		79,316.60	13,499.10	63,015.06	29,800.64

परिशिष्ट 3.2
अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग
(संदर्भ: कंडिका 3.2.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष	प्रावधान			प्रत्यर्पण	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग				
1	12	2070-00-800-08- विविध एवं आकस्मिक व्यय	0.00	8.85	(+)1.15	शून्य	10.00	3.05	6.95
2	39	2245-02-101-05- घायल व्यक्ति को मुआवज़ा की अदायगी	0.05	0.00	(+)0.14	शून्य	0.19	0.00	0.19
3		2245-80-102-11- बिजली गिरने से प्रभावित लोगों को सहायता अनुदान	15.00	0.00	(+)3.18	शून्य	18.18	9.55	8.63
4	40	2029-00-104-18- राजकोष में जमा राशि की वापसी	3.00	2.01	(+)0.41	शून्य	5.42	4.83	0.59
5	41	3054-80-001-02- कार्यान्वयन	105.89	0.17	(+)0.40	शून्य	106.46	82.63	23.83
6		3054-80-001-08- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना विंग-कार्य निष्पादन	23.53	0.04	(+)0.07	शून्य	23.64	18.27	5.37
7	56	3451-00-090-17- पंचायती राज एन.आर.ई.पी.	2.14	0.13	(+)0.01	शून्य	2.28	2.11	0.17
कुल			149.61	11.20	(+)5.36	शून्य	166.17	120.44	45.73

परिशिष्ट 3.3

वर्ष 2023-24 के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)

(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,290.14	26.48	2,316.62	1,213.58	1,103.04	728.20
2	2 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	493.81	7.14	500.95	318.16	182.79	113.73
3	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	292.44	11.96	304.40	174.93	129.47	119.56
4	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,690.15	527.27	3,217.42	1,775.23	1,442.19	1,093.03
5	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,147.70	637.49	1,785.19	1,127.83	657.36	584.09
6	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,986.62	260.83	6,247.45	4,902.85	1,344.60	947.83
7	21- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,876.65	88.93	1,965.58	1,474.21	491.37	419.30
8	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	6,819.84	581.85	7,401.69	6,534.50	867.19	272.97
9	23- उद्योग विभाग	461.40	23.35	484.75	321.23	163.52	22.46
10	27- विधि विभाग	790.66	266.35	1,057.01	573.47	483.54	0.00
11	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	323.24	530.76	854.00	277.37	576.63	572.73
12	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,601.34	1,164.56	2,765.90	1,057.11	1,708.79	1.74
13	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	678.41	55.77	734.18	632.69	101.49	5.50
14	41- पथ निर्माण विभाग	556.79	24.48	581.27	480.73	100.54	0.00
15	42- ग्रामीण विकास विभाग	7,441.08	1,795.10	9,236.18	4,627.88	4,608.30	4,555.87

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
16	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	302.10	6.40	308.50	115.70	192.80	192.80
17	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,452.61	1598.09	4,050.70	1,256.23	2,794.47	2729.69
18	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2,231.49	838.40	3,069.89	2,039.14	1,030.75	0.00
19	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	410.74	187.81	598.55	292.50	306.05	306.39
20	55- ग्रामीण कार्य विभाग	1,421.67	360.98	1,782.65	453.22	1,329.43	1,313.57
21	56- पंचायती राज विभाग	1,961.97	701.03	2,663.00	1,748.18	914.82	38.61
22	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2,872.19	16.53	2,888.72	2,567.10	321.62	0.00
23	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	8,818.95	177.74	8,996.69	7,382.24	1,614.45	0.00
24	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	7,041.64	805.95	7,847.59	6,209.87	1,637.72	1,239.07
कुल		60,963.63	10,695.25	71,658.88	47,555.95	24,102.93	15,257.14
राजस्व (भारित)							
25	13- ब्याज अदायगी	6,787.09	954.81	7,741.90	6,838.95	902.95	0.00
26	14- ऋण की अदायगी	567.00	300.00	867.00	567.00	300.00	0.00
कुल		7,354.09	1,254.81	8,608.90	7,405.95	1,202.95	0.00
पूँजीगत (दत्तमत)							
27	3- भवन निर्माण विभाग	567.00	50.00	617.00	485.11	131.89	0.00
28	8- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	170.02	0.00	170.02	29.46	140.56	140.56
29	10- ऊर्जा विभाग	4,141.02	1,801.31	5,942.33	5,833.53	108.80	108.80
30	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1,054.28	528.93	1,583.21	650.78	932.43	926.06

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
31	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	737.07	323.28	1,060.35	603.08	457.27	221.90
32	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	316.87	151.00	467.87	331.71	136.16	0.00
33	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4,048.97	911.49	4,960.46	3,467.14	1,493.32	1,478.25
34	41- पथ निर्माण विभाग	5,300.00	415.00	5,715.00	5,214.11	500.89	403.62
35	42 - ग्रामीण विकास विभाग	724.61	1.00	725.61	166.42	559.19	558.61
36	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	852.98	6.65	859.63	611.61	248.02	247.94
37	49- जल संसाधन विभाग	1,249.55	250.00	1,499.55	1,284.08	215.47	208.60
38	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	459.27	234.76	694.03	546.02	148.01	0.00
39	55- ग्रामीण कार्य विभाग	2,871.90	1,146.5	4,018.40	3,348.73	669.67	619.68
40	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	788.19	0.00	788.19	504.60	283.59	0.00
कुल		23,281.73	5,819.92	29,101.65	23,076.38	6,025.27	4,914.02
पूँजीगत (भारित)							
41	14- ऋण की अदायगी	6,325.43	305.47	6,630.90	6,384.01	246.90	179.46
कुल		6,325.43	305.47	6,630.90	6,384.01	246.90	179.46
कुल योग		97,924.88	18,075.45	1,16,000.33	84,422.29	31,578.05	20,350.62

परिशिष्ट 3.4

वर्ष 2023-24 के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)

(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,290.14	26.48	2,316.62	1,213.58	1,103.04	728.20
2	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,690.15	527.27	3,217.42	1,775.23	1,442.19	1,093.03
3	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1,147.70	637.49	1,785.19	1,127.83	657.36	584.09
4	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,986.62	260.83	6,247.45	4,902.85	1,344.60	947.83
5	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	6,819.84	581.85	7,401.69	6,534.50	867.19	272.97
6	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	323.24	530.76	854.00	277.37	576.63	572.73
7	39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,601.34	1,164.56	2,765.90	1,057.11	1,709.79	1.74
8	42 - ग्रामीण विकास विभाग	7,441.08	1,795.10	9,236.18	4,627.88	4,608.30	4,555.87
9	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,452.61	1,598.09	4,050.70	1,256.23	2,794.47	2,729.69
10	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2,231.49	838.40	3,069.89	2,039.14	1,030.75	0.00
11	55- ग्रामीण कार्य विभाग	1,421.67	360.98	1,782.65	453.22	1,329.43	1,313.57
12	56- पंचायती राज विभाग	1,961.97	701.03	2,663.00	1,748.18	914.82	38.61

क्र.सं	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	प्रत्यर्पण
13	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,818.95	177.74	8,996.69	7,382.24	1,614.45	0.00
14	60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	7,041.64	805.95	7,847.59	6,209.87	1,637.72	1,239.07
कुल		52,228.44	10,006.53	62,234.97	40,605.23	21,630.74	14,077.40
राजस्व (भारित)							
15	13-ब्याज अदायगी	6,787.09	954.81	7,741.90	6,838.95	902.95	0.00
कुल		6,787.09	954.81	7,741.90	6,838.95	902.95	0.00
पूँजीगत (दत्तमत्त)							
16	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1,054.28	528.93	1583.21	650.78	932.43	926.06
17	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4,048.97	911.49	4,960.46	3,467.14	1,493.32	1,478.25
18	41- सड़क निर्माण विभाग	5,300.00	415.00	5,715.00	5,214.11	500.89	403.62
19	42 - ग्रामीण विकास विभाग	724.61	1.00	725.61	166.42	559.19	558.61
20	55- ग्रामीण कार्य विभाग	2,871.90	1,146.50	4,018.40	3,348.73	669.67	619.68
कुल		13,999.76	3,002.92	17,002.68	12,847.18	4,155.50	3,986.22
कुल योग		73,015.29	13,964.26	86,979.55	60,291.36	26,689.19	18,063.62

परिशिष्ट 3.5

मार्च 2024 महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की प्रत्यर्पित राशि

(संदर्भ: कंडिका 3.2.6)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	प्रत्यर्पित राशि
राजस्व							
1	1	2,290.14	26.48	2,316.62	1,213.58	1,103.04	728.20
2	2	493.81	7.14	500.95	318.16	182.79	113.73
3	8	74.30	0.58	74.88	41.49	33.39	30.89
4	9	292.44	11.96	304.40	174.93	129.47	119.56
5	10	3,628.08	6,065.07	9,693.15	9,641.70	51.45	45.23
6	18	2,690.15	527.27	3,217.42	1,775.24	1,442.18	1,093.03
7	19	1,147.71	637.49	1,785.20	1,127.83	657.37	584.09
8	20	5,986.62	260.83	6,247.45	4,902.85	1,344.60	947.83
9	21	1,876.65	88.93	1,965.58	1,474.21	491.37	419.30
10	22	6,819.84	581.85	7,401.69	6,534.50	867.19	272.97
11	23	461.40	23.36	484.76	321.23	163.53	22.46
12	26	896.53	10.98	907.51	842.59	64.92	41.22
13	29	69.36	0.27	69.63	37.97	31.66	11.07
14	32	143.42	2.63	146.05	127.70	18.35	18.34
15	34	37.67	0.00	37.67	17.76	19.91	19.91
16	36	323.24	530.76	854.00	277.37	576.63	572.73
17	42	7,441.08	1,795.10	9,236.18	4,627.88	4,608.30	4,555.87
18	43	266.29	62.65	328.94	257.11	71.83	40.20
19	45	302.10	6.40	308.50	115.70	192.80	192.80
20	46	112.20	0.66	112.86	87.12	25.74	10.28
21	47	180.32	30.05	210.37	118.46	91.91	30.00
22	48	2,452.61	1,598.09	4,050.70	1,256.23	2,794.47	2,729.69
23	49	384.29	2.27	386.56	332.70	53.86	18.51
24	52	134.91	50.89	185.80	145.08	40.72	22.79
25	53	168.93	8.00	176.93	136.35	40.58	22.41
26	54	410.74	187.81	598.55	292.50	306.05	306.39
27	55	1,421.67	360.98	1,782.65	453.22	1,329.43	1,313.57
28	56	1,961.97	701.03	2,663.00	1,748.18	914.82	38.61
29	60	7,041.64	805.95	7,847.59	6,209.87	1,637.72	1,239.07
कुल		49,510.11	14,385.48	63,895.59	44,609.51	19,286.08	15,560.75
पूँजीगत							
30	8	170.02	0.00	170.02	29.46	140.56	140.56
31	9	401.00	41.70	442.70	379.45	63.25	63.16
32	10	4,141.02	1,801.31	5,942.33	5,833.53	108.80	108.80
33	14	6,325.43	305.47	6,630.90	6,384.01	246.89	179.46
34	18	60.00	0.83	60.83	0.24	60.59	39.76
35	20	1,054.28	528.94	1,583.22	650.79	932.43	926.06
36	22	737.07	323.28	1,060.35	603.08	457.27	221.90

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	प्रत्यर्पित राशि
37	26	89.32	0.00	89.32	9.05	80.27	80.19
38	36	4,048.97	911.49	4,960.46	3,467.14	1,493.32	1,478.25
39	40	32.00	0.00	32.00	14.50	17.50	17.50
40	41	5,300.00	415.00	5,715.00	5,214.11	500.89	403.62
41	42	724.61	1.00	725.61	166.42	559.19	558.61
42	43	211.60	0.00	211.60	135.14	76.46	76.46
43	47	88.99	5.00	93.99	23.30	70.69	50.00
44	48	852.98	6.65	859.63	611.61	248.02	247.94
45	49	1,249.55	250.00	1,499.55	1,284.08	215.47	208.60
46	50	248.45	32.00	280.45	222.60	57.85	47.04
47	53	33.87	0.00	33.87	14.98	18.89	12.12
48	55	2,871.90	1,146.50	4,018.40	3,348.73	669.67	619.68
49	60	130.03	32.98	163.01	131.43	31.58	27.13
कुल		28,771.09	5,802.15	34,573.24	28,523.65	6,049.59	5,506.84
कुल योग		78,281.20	20,187.63	98,468.83	73,133.16	25,335.67	21,067.59

परिशिष्ट 3.6

पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित विनियमन
(संदर्भ: कंडिका 3.2.7.2)

वर्ष	अनुदान/ विनियोजन की संख्या	अनुदान/ विनियोजन/ विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
2017-18	13	ब्याज भुगतान	193.69
2017-18	15	पेंशन	71.81
2019-20	13	ब्याज भुगतान	120.64
2019-20	15	पेंशन	192.68
2020-21	13	ब्याज भुगतान	144.95
2021-22	13	ब्याज भुगतान	98.89
2021-22	15	पेंशन	189.97
2022-23	14	ऋण की अदायगी	15.92
कुल			3,778.41

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

*आधिक्य राशि मात्र ₹ 8,807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 था

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 था

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160 था

परिशिष्ट 3.7

योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था
लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया
(संदर्भ: कंडिका 3.3.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
1		2401-00-102-AO (सी.एस.)	1.80	
2		2401-00-102-AO (एस. एस.)	1.20	
3		2401-00-102-BI (एस. एस.)	90.00	
4		2401-00-102-BW (एस. एस.)	1.20	
5		2401-00-102-BX (एस. एस.)	3.00	
6		2401-00-102-C7 (एस. एस.)	15.00	
7		2401-00-102-C8 (एस. एस.)	9.69	
8		2401-00-109-28 (सी.एस.)	18.00	
9		2401-00-109-28 (एस. एस.)	12.00	
10		2401-00-113-AT (सी.एस.)	13.40	
11		2401-00-113-AT (एस. एस.)	8.93	
12		2401-00-131-C6 (एस. एस.)	1.50	
13		2401-00-195-B3 (एस. एस.)	7.50	
14		2401-00-789-28 (सी.एस.)	6.00	
15		2401-00-789-28 (एस. एस.)	4.00	
16		2401-00-789-AT (सी.एस.)	4.47	
17	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	2401-00-789-AT (एस. एस.)	2.98	
18	(कृषि प्रभाग)	2401-00-789-B3 (एस. एस.)	2.50	
19		2401-00-789-C8 (एस. एस.)	3.23	
20		2401-00-789-BX (एस. एस.)	1.00	
21		2401-00-789-C7 (एस. एस.)	5.00	
22		2401-00-796-28 (सी.एस.)	36.00	
23		2401-00-796-28 (एस. एस.)	24.00	
24		2401-00-796-AO (सी.एस.)	3.60	
25		2401-00-796-AO (एस. एस.)	2.40	
26		2401-00-796-AT (सी.एस.)	26.80	
27		2401-00-796-AT (एस. एस.)	17.87	
28		2401-00-796-BI (एस. एस.)	180.00	
29		2401-00-796-BW (एस. एस.)	2.40	
30		2401-00-796-BX (एस. एस.)	6.00	
31		2401-00-796-C6 (एस. एस.)	3.00	
32		2401-00-796-C7 (एस. एस.)	30.00	
33		2401-00-796-C8 (एस. एस.)	19.38	
34		4401-00-789-12 (एस. एस.)	1.40	
35	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	2403-00-101-27 (सी.एस.)	13.80	
36	(पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-27 (एस. एस.)	9.20	
37		2403-00-101-A5 (एस. एस.)	1.50	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
38		2403-00-101-AG (सी.एस.)	3.30	
39		2403-00-101-AG (एस. एस.)	2.20	
40		2403-00-102-33 (एस. एस.)	1.00	
41		2403-00-103-97 (एस. एस.)	2.40	
42		2403-00-789-27 (सी.एस.)	8.40	
43		2403-00-789-27 (एस. एस.)	5.60	
44		2403-00-789-97 (सी.एस.)	2.40	
45		2403-00-789-97 (एस. एस.)	1.60	
46		2403-00-789-AG (सी.एस.)	1.80	
47		2403-00-789-AG (एस. एस.)	1.20	
48		2403-00-796-27 (सी.एस.)	5.40	
49		2403-00-796-27 (एस. एस.)	3.60	
50		2403-00-796-A5 (एस. एस.)	1.50	
51		2403-00-796-AA (एस. एस.)	6.00	
52		4403-00-109-23 (एस. एस.)	1.00	
53		4403-00-796-28 (एस. एस.)	1.00	
54	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-796-39 (सी.एस.)	50.00	
55		4059-01-796-39 (एस. एस.)	33.00	
56	8-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	3053-80-796-07 (एस. एस.)	5.00	
57		5053-02-102-11 (एस. एस.)	1.00	
58		5053-02-796-01 (एस. एस.)	25.00	
59		5053-02-796-10 (एस. एस.)	80.00	
60	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425-00-107-27 (एस. एस.)	15.00	
61		2425-00-108-60 (एस. एस.)	1.50	3.15
62		2425-00-108-75 (सी.एस.)	4.50	
63		2425-00-108-75 (एस. एस.)	3.00	
64		2425-00-789-27 (एस. एस.)	10.00	
65		2425-00-789-60 (एस. एस.)	1.00	2.10
66		2425-00-789-75 (सी.एस.)	3.00	
67		2425-00-789-75 (एस. एस.)	2.00	
68		2425-00-796-10 (एस. एस.)	0.00	1.50
69		2425-00-796-27 (एस. एस.)	25.00	
70		2425-00-796-60 (एस. एस.)	2.50	5.25
71	2425-00-796-75 (सी.एस.)	7.50		
72	2425-00-796-75 (एस. एस.)	5.00		
73	10-ऊर्जा विभाग	2801-06-052-11 (एस. एस.)	0.56	14.47
74		2801-06-789-11 (एस. एस.)	0.11	2.80
75		2801-06-796-11 (एस. एस.)	0.23	6.07
76		2801-80-101-02 (स्थापना व्यय)	5.73	
77		6801-00-190-49 (एस. एस.)	25.00	
78	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	4047-00-039-01 (एस. एस.)	2.00	
79	12-वित्त विभाग	2075-00-791-02 (स्थापना व्यय)	5.50	
80		4070-00-003-86 (एस. एस.)	3.20	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
81		7610-00-201-02 (स्थापना व्यय)	5.00	
82		7610-00-202-02 (स्थापना व्यय)	1.00	
83		7610-00-202-04 (स्थापना व्यय)	6.00	
84	13-ब्याज संदाय	2049-01-115-01 (स्थापना व्यय)	5.00	
85		2049-60-701-01 (स्थापना व्यय)	1.00	
86	14-ऋण की अदायगी	6003-00-101-92 (स्थापना व्यय)	300.00	
87		6003-00-101-95 (स्थापना व्यय)	500.00	
88		6003-00-101-96 (स्थापना व्यय)	450.00	
89		6003-00-101-97 (स्थापना व्यय)	700.00	
90		6003-00-101-98 (स्थापना व्यय)	500.00	
91	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-73 (एस. एस.)	1.23	
92		3456-00-102-80 (एस. एस.)	70.00	
93		3456-00-789-76 (एस. एस.)	1.00	
94		3456-00-789-80 (एस. एस.)	26.00	
95		3456-00-796-43 (एस. एस.)	1.00	
96		3456-00-796-80 (एस. एस.)	104.00	
97		4408-02-101-01 (एस. एस.)	21.00	
98		4408-02-789-01 (एस. एस.)	9.00	
99	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-72 (एस. एस.)	4.00	
100		2406-02-110-03 (सी.एस.)	2.40	
101		2406-02-110-03 (एस. एस.)	1.60	
102		2406-02-110-08 (सी.एस.)	2.40	
103		2406-02-110-08 (एस. एस.)	1.60	
104		2406-02-110-21 (सी.एस.)	2.00	
105		2406-02-110-21 (एस. एस.)	2.00	
106	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-92 (एस. एस.)	7.40	
107		2210-01-001-93 (एस. एस.)	11.10	
108		2210-01-001-97 (एस. एस.)	18.50	
109		2210-01-001-99 (एस. एस.)	11.10	
110		2210-01-001-A5 (एस. एस.)	11.10	
111		2210-01-001-A6 (एस. एस.)	7.40	
112		2210-01-796-64 (एस. एस.)	3.90	
113		2210-01-796-92 (एस. एस.)	2.60	
114		2210-01-796-93 (एस. एस.)	3.90	
115		2210-01-796-95 (एस. एस.)	7.80	
116		2210-01-796-96 (एस. एस.)	9.10	
117		2210-01-796-97 (एस. एस.)	6.50	
118		2210-01-796-99 (एस. एस.)	3.90	
119		2210-01-796-A5 (एस. एस.)	3.90	
120	2210-01-796-A6 (एस. एस.)	2.60		
121		2210-05-105-40 (सी.एस.)	0.00	6.00
122		2010-05-105-40 (एस. एस.)	0.00	4.00
123		2210-05-796-40 (सी.एस.)	0.00	6.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
124		2210-05-796-40 (एस. एस.)	0.00	2.67
125		4210-01-109-51 (एस. एस.)	13.32	
126		4210-01-110-31 (एस. एस.)	10.00	
127		4210-01-110-49 (सी.एस.)	25.92	
128		4210-01-110-49 (एस. एस.)	17.05	
129		4210-01-200-47- (एस. एस.)	7.40	
130		4210-01-789-49 (सी.एस.)	5.02	
131		4210-01-789-49 (एस. एस.)	3.30	
132		4210-01-796-49 (सी.एस.)	10.87	
133		4210-01-796-49 (एस. एस.)	7.15	
134		2202-03-101-BM (एस. एस.)	15.00	
135		2202-03-102-BR (एस. एस.)	2.50	
136	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-796-79 (सी.एस.)	3.75	4.35
137		2202-03-796-BQ (एस. एस.)	9.99	
138		2202-03-796-BR (एस. एस.)	2.50	
139		2070-00-107-18 (स्थापना व्यय)		1.18
140		4055-00-207-45 (एस. एस.)	7.91	
141		4055-00-207-80 (सी. एस. एस.)	2.69	
142		4055-00-207-81 (सी. एस. एस.)	2.00	
143	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-796-82 (सी. एस. एस.)	3.33	
144		4055-00-796-83 (एस. एस.)	22.00	
145		4070-00-796-63 (सी.एस.)	1.84	
146		4070-00-796-77 (एस. एस.)	15.00	
147		4070-00-796-83 (एस. एस.)	2.36	
148		4070-00-800-65 (एस. एस.)	2.44	
149		2852-80-102-10 (एस. एस.)	10.00	30.00
150		2852-80-102-93 (एस. एस.)	2.00	
151		2852-80-102-95 (एस. एस.)	3.00	
152	23- उद्योग विभाग	2852-80-796-10 (एस. एस.)	25.00	
153		2852-80-796-93 (एस. एस.)	8.00	
154		2852-80-796-95 (एस. एस.)	3.00	
155		4885-60-190-01 (एस. एस.)	13.00	
156	24- सूचना एवं जन संपर्क विभाग	2220-01-796-03 (एस. एस.)	1.00	
157		2230-02-101-36 (सी.एस.)	2.10	
158		2230-02-796-36 (सी.एस.)	2.06	
159		2230-03-796-26 (एस. एस.)	1.10	
160	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	4059-01-796-55 (एस. एस.)	10.25	
161		4250-00-203-04 (सी.एस.)	7.24	
162		4250-00-203-04 (एस. एस.)	2.41	
163		4250-00-789-01 (एस. एस.)	15.00	
164		4250-00-796-04 (सी.एस.)	9.53	
165		4250-00-796-04 (एस. एस.)	3.18	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
166	27-विधि विभाग	2014-00-103-01 (सी.एस.)	0.00	12.78
167		2014-00-103-01 (एस. एस.)	0.00	8.52
168	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	2225-04-277-02 (एस. एस.)	1.00	
169		2225-04-796-02 (एस. एस.)	1.00	
170		4225-04-277-01 (एस. एस.)	1.00	
171		4225-04-796-01 (एस. एस.)	1.00	
172		4225-80-277-12 (सी.एस.)	10.00	
173		4225-80-277-12 (एस. एस.)	6.00	
174		4225-80-277-23 (एस. एस.)	24.00	
175		4225-80-796-12 (सी.एस.)	20.00	
176		4225-80-796-12 (एस. एस.)	14.00	
177		4225-80-796-21 (सी.एस.)	1.00	
178	4225-80-796-23 (एस. एस.)	48.00		
179	35- योजना एवं विकास विभाग	3454-02-796-16 (एस. एस.)	1.00	
180	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-102-10 (सी.एस.)	481.33	
181		4215-01-789-10 (सी.एस.)	164.84	
182		4215-01-796-10 (सी.एस.)	302.83	
183	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	2030-02-101-02 (एस. एस.)	1.00	
184	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2235-01-001-02 (एस. एस.)	8.40	8.41
185		2245-01-101-02 (एस. एस.)	3.00	
186		2245-01-101-06 (एस. एस.)	5.00	
187		2245-01-101-07 (एस. एस.)	100.00	
188		2245-01-102-02 (एस. एस.)	10.00	
189		2245-01-102-04 (एस. एस.)	1.00	
190		2245-01-104-01 (एस. एस.)	1.00	
191		2245-02-101-02 (एस. एस.)	20.00	
192		2245-02-102-02 (एस. एस.)	1.00	
193		2245-02-104-01 (एस. एस.)	1.00	
194		2245-02-106-01 (एस. एस.)	2.00	
195		2245-02-107-01 (एस. एस.)	1.00	
196		2245-02-109-02 (एस. एस.)	1.00	
197		2245-02-112-01 (एस. एस.)	1.00	
198		2245-08-796-01 (सी.एस.)	0.00	113.60
199	2245-08-796-01 (एस. एस.)	0.00	37.80	
200	2245-80-001-22 (सी.एस.)	1.60		
201	2245-80-102-02 (एस. एस.)	20.00		
202	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-104-03 (एस. एस.)	1.25	
203		3454-01-001-01 (सी.एस.)	1.00	
204		3454-01-101-05 (सी.एस.)	1.00	
205	41- पथ निर्माण विभाग	2075-00-791-01 (स्थापना व्यय)	5.00	
206		5054-03-052-06 (एस. एस.)	1.75	
207		5054-03-337-08 (एस. एस.)	50.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय	
208		5054-03-796-06 (एस. एस.)	1.87		
209		5054-03-796-08 (एस. एस.)	50.00		
210	42- ग्रामीण विकास विभाग	2505-02-101-08 (एस. एस.)	2.94		
211		2505-02-101-11 (एस. एस.)	5.00		
212		2505-02-101-13 (सी.एस.)	1.00		
213		2505-02-796-08 (एस. एस.)	2.16		
214		2515-00-789-48 (सी.एस.)	1.00		
215		2515-00-796-17 (एस. एस.)	1.13		
216		4515-00-789-40 (एस. एस.)	49.20		
217		4515-00-796-49 (एस. एस.)	1.00		
218		43- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	4202-02-105-76 (सी.एस.)	51.60	
219	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नन्स विभाग	2203-00-001-89 (एस. एस.)	3.00		
220		2203-00-001-AL (एस. एस.)	0.01	3.85	
221		2203-00-796-85 (एस. एस.)	2.00		
222		2203-00-796-89 (एस. एस.)	3.00		
223		2203-00-796-92 (एस. एस.)	15.80		
224		2203-00-796-A₃ (एस. एस.)	0.01	2.57	
225		4202-02-105-70 (एस. एस.)	1.00		
226		4202-02-105-79 (एस. एस.)	1.00		
227		47- परिवहन विभाग	3055-00-101-05 (एस. एस.)	6.00	
228	3055-00-796-02 (एस. एस.)		5.00		
229	3055-00-796-05 (एस. एस.)		9.00		
230	3075-60-101-07 (एस. एस.)		2.00		
231	3075-60-101-08 (एस. एस.)		10.00		
232	3075-60-796-07 (एस. एस.)		3.00		
233	3075-60-796-08 (एस. एस.)		15.00		
234	5055-00-190-12 (एस. एस.)		0.40	2.00	
235	5055-00-190-23 (एस. एस.)		10.00		
236	5055-00-190-29 (एस. एस.)		6.00		
237	5055-00-796-12 (एस. एस.)		0.60	3.00	
238	5055-00-796-19 (एस. एस.)		10.00		
239	5055-00-796-23 (एस. एस.)		15.00		
240	5055-00-796-25 (एस. एस.)		1.00		
241	5055-00-796-29 (एस. एस.)		9.00		
242	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)		2217-80-191-73 (सी.एस.)	20.00	
243			2217-80-191-76 (एस. एस.)	120.00	
244		2217-80-191-A5 (सी.एस.)	10.00		
245		2217-80-191-A5 (एस. एस.)	5.00		
246		2217-80-191-A7 (सी.एस.)	0.00	4.80	
247		2217-80-191-A7 (एस. एस.)	0.00	3.20	
248		2217-80-191-A8 (सी.एस.)	0.00	8.40	
249		2217-80-191-A8 (एस. एस.)	0.00	5.60	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
250		2217-80-191-AA (सी.एस.)	0.00	2.00
251		2217-80-191-AA (एस. एस.)	0.00	2.00
252		2217-80-191-AB (सी.एस.)	0.00	22.80
253		2217-80-191-AB (एस. एस.)	0.00	21.20
254		2217-80-191-AC (सी.एस.)	0.00	397.64
255		2217-80-191-AC (एस. एस.)	0.00	240.00
256		2217-80-191-AE (सी.एस.)	0.00	6.00
257		2217-80-789-60 (सी.एस.)	10.00	
258		2217-80-789-60 (एस. एस.)	4.00	
259		2217-80-789-99 (सी.एस.)	135.00	
260		2217-80-789-A5 (सी.एस.)	5.00	
261		2217-80-789-A5 (एस. एस.)	5.00	
262		2217-80-796-60 (सी.एस.)	19.00	
263		2217-80-796-60 (एस. एस.)	8.00	
264		2217-80-796-73 (सी.एस.)	18.00	
265		2217-80-796-76 (एस. एस.)	80.00	
266		2217-80-796-A1 (एस. एस.)	2.50	
267		2217-80-796-A5 (सी.एस.)	5.00	
268		2217-80-796-A5 (एस. एस.)	20.00	
269		2217-80-796-A7 (सी.एस.)	0.00	4.80
270		2217-80-796-A7 (एस. एस.)	0.00	3.20
271		2217-80-796-A8 (सी.एस.)	0.00	8.40
272		2217-80-796-A8 (एस. एस.)	0.00	5.60
273		2217-80-796-AA (सी.एस.)	0.00	2.00
274		2217-80-796-AA (एस. एस.)	0.00	2.00
275		2217-80-796-AB (सी.एस.)	0.00	18.80
276		2217-80-796-AB (एस. एस.)	0.00	17.20
277		2217-80-796-AC (सी.एस.)	0.00	276.06
278		2217-80-796-AC (एस. एस.)	0.00	160.00
279		2217-80-796-AE (सी.एस.)	0.00	4.00
280		4217-60-789-53 (एस. एस.)	5.00	
281		4217-60-796-50 (एस. एस.)	135.00	
282		4217-60-796-54 (एस. एस.)	50.00	
283		4700-80-796-11 (एस. एस.)	1.00	
284	49-जल संसाधन विभाग	4700-80-796-12 (सी.एस.)	63.55	
285		4700-80-796-12 (एस. एस.)	15.85	
286		2702-01-796-02 (एस. एस.)	2.00	
287	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-101-37 (सी.एस.)	3.00	
288		4702-00-796-25 (एस. एस.)	1.00	
289		4702-00-796-37 (सी.एस.)	2.00	
290	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,	2225-01-789-10 (सी.एस.)	2.00	
291	अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	2225-01-789-10 (एस. एस.)	2.00	
292	विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित	2225-01-789-AO (सी.एस.)	30.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
293	जाति, एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-A2 (एस. एस.)	4.00	
294		2225-01-789-A3 (सी.एस.)	16.50	
295		2225-01-789-A4 (सी.एस.)	45.00	
296		2225-02-277-01 (सी.एस.)	5.00	
297		2225-02-277-98 (एस. एस.)	2.00	
298		2225-02-277-A3 (सी.एस.)	10.00	
299		2225-02-277-A8 (एस. एस.)	4.00	
300		2225-02-277-AE (एस. एस.)	2.00	
301		2225-02-277-AH (एस. एस.)	2.00	
302		2225-02-796-01 (सी.एस.)	77.00	
303		2225-02-796-A3 (सी.एस.)	80.80	
304		2225-02-796-A7 (सी.एस.)	1.00	
305		2225-02-796-AE (एस. एस.)	10.00	
306		2225-02-796-AH (एस. एस.)	8.00	
307		2225-03-277-93 (एस. एस.)	1.50	
308		4225-01-789-22 (एस. एस.)	4.00	
309		4225-01-789-23 (एस. एस.)	4.00	
310		4225-02-277-43 (एस. एस.)	1.00	
311		4225-02-277-49 (एस. एस.)	30.00	
312		4225-02-277-50 (एस. एस.)	2.00	
313	4225-02-796-43 (एस. एस.)	4.00		
314	4225-02-796-48 (एस. एस.)	1.30		
315	4225-02-796-49 (एस. एस.)	30.00		
316	4225-02-796-50 (सी.एस.)	10.00		
317	4225-03-277-08 (एस. एस.)	1.50		
318	4225-03-277-09 (एस. एस.)	1.50		
319	4225-03-796-09 (एस. एस.)	1.50		
320	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2204-00-102-05 (एस. एस.)	1.10	
321	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	4405-00-101-77 (सी.एस.)	4.80	
322		4405-00-101-77 (एस. एस.)	3.20	
323		4405-00-796-77 (सी.एस.)	4.80	
324		4405-00-796-77 (एस. एस.)	3.20	
325	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-74 (सी.एस.)	1.32	
326		2404-00-102-76 (सी.एस.)	1.00	
327		2404-00-102-76 (एस. एस.)	1.00	
328	55- ग्रामीण कार्य विभाग	2515-00-001-85 (एस. एस.)	4.00	
329		2515-00-001-88 (एस. एस.)	0.00	1.50
330		2515-00-102-81 (एस. एस.)	5.00	
331		2515-00-789-81 (एस. एस.)	1.00	
332		2515-00-789-83 (एस. एस.)	80.00	
333		2515-00-796-81 (एस. एस.)	5.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय	
334		2515-00-796-85 (एस. एस.)	4.00		
335		2515-00-796-88 (एस. एस.)	0.00	1.50	
336		4515-00-103-18 (एस. एस.)	1.00		
337		4515-00-103-48 (एस. एस.)	0.00	1.50	
338		4515-00-796-18 (एस. एस.)	1.00		
339		4515-00-796-48 (एस. एस.)	0.00	1.50	
340		2515-00-001-42 (एस. एस.)	3.00		
341		2515-00-001-74 (एस. एस.)	1.00		
342		2515-00-001-75 (एस. एस.)	7.00		
343	56- पंचायती राज विभाग	2515-00-789-42 (एस. एस.)	2.00		
344		2515-00-789-75 (एस. एस.)	5.00		
345		2515-00-796-42 (एस. एस.)	5.00		
346		2515-00-796-74 (एस. एस.)	2.00		
347		2515-00-796-75 (एस. एस.)	13.00		
348			2202-02-109-81 (एस. एस.)	3.00	
349			2202-02-789-73 (एस. एस.)	32.50	
350		2202-05-200-05 (सी.एस.)	2.10		
351	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-05-200-05 (एस. एस.)	1.40		
352		2202-05-796-05 (सी.एस.)	1.40		
353		4202-01-202-51 (एस. एस.)	17.50		
354		4202-01-789-51 (एस. एस.)	5.95		
355		4202-01-789-54 (एस. एस.)	43.50		
356		4202-01-796-51 (एस. एस.)	11.55		
357			2202-01-101-63 (एस. एस.)	5.70	
358		2202-01-105-61 (सी.एस.)	3.42		
359		2202-01-105-61 (एस. एस.)	2.28		
360		2202-01-112-72 (सी.एस.)	0.00	16.27	
361	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-789-63 (एस. एस.)	1.50		
362		2202-01-789-72 (सी.एस.)	0.00	4.28	
363		2202-01-796-61 (सी.एस.)	1.68		
364		2202-01-796-61 (एस. एस.)	1.12		
365		2202-01-796-63 (एस. एस.)	2.80		
366		2202-01-796-72 (सी.एस.)	0.00	7.99	
367			2235-02-102-47 (सी.एस.)	1.61	
368		2235-02-102-47 (एस. एस.)	1.08		
369		2235-02-102-48 (सी.एस.)	3.33		
370		2235-02-102-48 (एस. एस.)	2.22		
371	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-53 (सी.एस.)	1.55		
372		2235-02-102-53 (एस. एस.)	1.03		
373		2235-02-102-B6 (सी.एस.)	10.18		
374		2235-02-102-B6 (एस. एस.)	30.54		
375		2235-02-102-BC (सी.एस.)	0.00	6.11	
376		2235-02-102-BC (एस. एस.)	0.00	4.07	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
377		2235-02-102-BE (सी.एस.)	0.00	2.95
378		2235-02-103-85 (सी.एस.)	14.40	
379		2235-02-103-85 (एस. एस.)	9.60	
380		2235-02-103-AH (सी.एस.)	1.22	
381		2235-02-103-B5 (सी.एस.)	0.00	24.00
382		2235-02-103-B5 (एस. एस.)	16.00	
383		2235-02-103-BB (एस. एस.)	91.00	
384		2235-02-106-A4 (एस. एस.)	2.88	
385		2235-02-789-B5 (सी.एस.)	0.00	4.80
386		2235-02-789-B5 (एस. एस.)	3.20	
387		2235-02-796-47 (सी.एस.)	1.75	
388		2235-02-796-47 (एस. एस.)	1.16	
389		2235-02-796-48 (सी.एस.)	3.59	
390		2235-02-796-48 (एस. एस.)	2.39	
391		2235-02-796-53 (सी.एस.)	1.67	
392		2235-02-796-53 (एस. एस.)	1.12	
393		2235-02-796-85 (सी.एस.)	15.60	
394		2235-02-796-85 (एस. एस.)	10.40	
395		2235-02-796-AH (सी.एस.)	1.67	
396		2235-02-796-AH (एस. एस.)	1.11	
397		2235-02-796-AP (एस. एस.)	1.90	
398		2235-02-796-AV (सी.एस.)	1.00	
399		2235-02-796-B5 (सी.एस.)	0.00	26.40
400		2235-02-796-B5 (एस. एस.)	17.60	
401		2235-02-796-B6 (सी.एस.)	10.57	
402		2235-02-796-B6 (एस. एस.)	31.71	
403		2235-02-796-BB (एस. एस.)	99.00	
404		2235-02-796-BC (सी.एस.)	0.00	6.61
405		2235-02-796-BC (एस. एस.)	0.00	4.41
406		2235-02-796-BE (सी.एस.)	0.00	3.20
407		4235-02-106-74 (एस. एस.)	2.40	
408		4235-02-796-78 (सी.एस.)	23.99	
कुल			7,557.23	1,598.59

परिशिष्ट 3.8
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 3.4)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मार्च	4 ^{थी} तिमाही का योग	वित्तीय वर्ष का योग	मार्च के व्यय का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता	4 ^{थी} तिमाही के योग का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता
1	3055	0.28	0.28	0.28	100.00	100.00
2	4851	162.92	162.92	162.92	100.00	100.00
3	4853	0.50	0.50	0.50	100.00	100.00
4	2062	0.95	1.08	1.08	87.80	100.00
5	4250	4.30	5.42	5.42	79.36	100.00
7	5053	26.36	29.18	29.46	89.48	99.05
8	4405	7.35	14.56	14.92	49.24	97.57
9	4406	31.85	31.85	32.72	97.34	97.34
10	4402	361.46	443.30	458.84	78.78	96.61
11	4425	15.03	364.47	379.45	3.96	96.05
12	4401	7.16	7.93	8.50	84.26	93.23
13	4403	7.94	8.43	9.24	85.99	91.29
14	2216	43.51	47.88	53.04	82.02	90.26
15	2404	27.45	256.37	292.20	9.39	87.74
16	2406	606.94	748.13	913.15	66.47	81.93
17	2401	318.71	584.04	753.53	42.30	77.51
18	4235	101.16	101.16	131.43	76.97	76.97
19	4225	538.84	646.75	877.73	61.39	73.68
20	3452	34.16	61.98	84.15	40.59	73.66
21	5055	9.32	13.02	18.30	50.91	71.13
22	2403	80.58	183.79	261.25	30.84	70.35
23	4515	1,147.31	2,322.83	3,514.10	32.65	66.10
24	2852	90.37	129.40	199.55	45.29	64.85
25	2810	358.60	358.60	553.79	64.75	64.75
26	2015	43.24	162.61	251.21	17.21	64.73
27	2225	938.71	1,288.67	2,032.40	46.19	63.41
28	4217	300.17	369.42	584.49	51.36	63.20
29	5452	7.74	18.08	29.89	25.90	60.48
30	2204	47.61	74.44	127.11	37.46	58.57
31	5054	1,461.14	2,851.71	5,206.80	28.06	54.77
32	3456	561.68	960.76	1,766.33	31.80	54.39
33	4055	59.62	313.84	577.43	10.32	54.35
34	3054	124.45	259.39	477.64	26.06	54.31
35	4701	306.76	513.12	968.31	31.68	52.99
36	2053	136.34	261.33	494.09	27.59	52.89
37	2515	568.23	1,927.92	3,660.14	15.52	52.67
38	2203	63.86	140.70	271.81	23.49	51.76
39	4220	1.14	2.86	5.67	20.17	50.46
कुल	8,603.74	15,668.71	25,208.86			

परिशिष्ट 3.9
मार्च 2024 के अंत में निधियों का अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 3.5.6)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	शीर्ष	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण/ व्यपगत
1	प्रमंडलीय वन अधिकारी, दुमका	कैम्पा	9.17	8.95	0.22
		योजना	15.63	15.58	0.05
		गैर-योजना	7.15	6.97	0.18
2	प्रमंडलीय वन अधिकारी, जमशेदपुर	कैम्पा	5.69	5.64	0.05
		योजना	67.70	67.63	0.07
		गैर-योजना	10.95	10.63	0.32
3	प्रमंडलीय वन अधिकारी, लातेहार	कैम्पा	6.49	6.17	0.32
		योजना	10.69	9.87	0.82
		गैर-योजना	5.85	5.72	0.13
4	प्रमंडलीय वन अधिकारी, पलामू	कैम्पा	2.76	2.47	0.29
		योजना	15.54	15.45	0.09
		गैर-योजना	6.04	6.03	0.01
5	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, हाथी परियोजना, जमशेदपुर	कैम्पा	10.28	8.53	1.75
		गैर-योजना	3.08	2.67	0.41
6	प्रमंडलीय वन अधिकारी, गिरीडीह (पूर्व)	कैम्पा	7.33	6.98	0.35
		योजना	14.47	12.87	1.60
		गैर-योजना	6.37	6.34	0.03
7	प्रमंडलीय वन अधिकारी, गुमला	कैम्पा	4.71	4.62	0.09
		योजना	14.59	14.57	0.02
		गैर-योजना	4.95	4.94	0.01
8	प्रमंडलीय वन अधिकारी, बफर एरिया बाघ परियोजना, पलामू	गैर-योजना	4.79	4.78	0.01
9	प्रमंडलीय वन अधिकारी, कोर एरिया बाघ परियोजना, पलामू	गैर-योजना	7.33	7.30	0.03
10	प्रमंडलीय वन अधिकारी, राँची	कैम्पा	6.72	6.21	0.51
		योजना	35.15	35.05	0.10
		गैर-योजना	9.21	9.06	0.15
11	प्रमंडलीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, राँची	कैम्पा	10.12	9.99	0.13
		गैर-योजना	2.52	2.39	0.13
12	प्रमंडलीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, लातेहार	कैम्पा	0.44	0.35	0.09
		योजना	6.86	6.80	0.06
		गैर-योजना	2.48	2.27	0.21
13	प्रमंडलीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, दुमका	कैम्पा	1.21	1.10	0.11
		योजना	30.36	30.26	0.10
		गैर-योजना	1.93	1.55	0.38
14	प्रमंडलीय वन अधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, (तसर), दुमका	गैर-योजना	0.97	0.92	0.05
15	प्रमंडलीय वन अधिकारी, गिरीडीह (पश्चिम)	कैम्पा	3.67	3.63	0.04
		योजना	17.61	17.54	0.07
		गैर-योजना	5.46	5.16	0.30
कुल			376.27	366.99	9.28

परिशिष्ट 3.10

व्यय का वेग (वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

(संदर्भ: कंडिका 3.5.7)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	सचिवालय/प्रमंडल/ कार्यालय	लेखा शीर्ष/ उप-शीर्ष की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
1.	लातेहार	प्रमंडलीय वन अधिकारी, लातेहार	गैर-योजना	571.72	49.99	8.74
			योजना	987.24	585.16	59.27
			कैम्पा	617.25	309.58	50.15
			कुल	2,176.21	1,001.46	46.02
2.	लातेहार	प्रमंडलीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, लातेहार	गैर-योजना	227.46	19.62	8.63
			योजना	679.79	125.73	18.50
			कैम्पा	34.72	0.50	1.44
			कुल	941.97	145.85	15.48
3.	पलामू	प्रमंडलीय वन अधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू	गैर-योजना	1,545.22	727.49	47.08
			योजना	602.61	66.50	11.04
			कैम्पा	247.36	44.64	18.05
			कुल	2,395.19	838.63	35.01
4.	पलामू	प्रमंडलीय वन अधिकारी, बफर एरिया बाघ परियोजना, पलामू	गैर-योजना	633.70	132.99	20.98
			योजना	3,372.67	2,200.84	65.26
			कुल	4,006.37	2,333.83	58.25
5.	पलामू	प्रमंडलीय वन अधिकारी, कोर एरिया बाघ परियोजना, पलामू	गैर-योजना	729.99	157.64	21.59
			योजना	1,789.71	924.58	51.66
			कुल	2,519.70	1,082.22	42.95
6.	पूर्वी सिंहभूम	प्रमंडलीय वन अधिकारी, जमशेदपुर	गैर-योजना	1063.49	119.84	11.27
			योजना	6,762.61	2,722.57	40.26
			कैम्पा	563.56	180.47	32.02
			कुल	8,389.66	3,022.88	36.03
7.	पूर्वी सिंहभूम	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, हाथी परियोजना, जमशेदपुर	गैर-योजना	266.97	48.21	18.06
			योजना	1,611.01	679.88	42.20
			कुल	1,877.98	728.19	38.78
8.	गुमला	प्रमंडलीय वन अधिकारी, गुमला	गैर-योजना	493.59	94.96	19.24
			योजना	1,457.24	988.14	67.81
			कैम्पा	462.48	311.77	67.41
			कुल	2,413.31	1,394.87	57.80
9.	दुमका	प्रमंडलीय वन अधिकारी, दुमका	गैर-योजना	697.25	87.64	12.57
			योजना	1,557.69	462.98	29.72
			कैम्पा	895.45	348.52	38.92
			कुल	3,150.39	899.14	28.54
10.	दुमका	प्रमंडलीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, दुमका	गैर-योजना	154.71	15.92	10.29
			योजना	3,025.80	1,215.29	40.16
			कैम्पा	110.36	4.55	4.12
			कुल	3,290.87	1,235.76	37.55

क्र. सं.	जिला का नाम	सचिवालय/प्रमंडल/ कार्यालय	लेखा शीर्ष/ उप-शीर्ष की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
11.		प्रमंडलीय वन अधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, (तसर), दुमका	गैर-योजना	92.10	7.78	8.45
			योजना	256.90	170.82	66.49
			कुल	349.00	178.60	51.17
12.	गिरीडीह	प्रमंडलीय वन अधिकारी, गिरीडीह पूर्व	गैर-योजना	634.41	59.62	9.40
			योजना	1,287.18	627.87	48.78
			कैम्पा	697.86	208.32	29.85
			कुल	2,619.45	895.81	34.20
13.	गिरीडीह	प्रमंडलीय वन अधिकारी, गिरीडीह पश्चिम	गैर-योजना	515.84	29.35	5.69
			योजना	1,753.70	1,139.01	64.95
			कैम्पा	363.28	140.71	38.73
			कुल	2,632.82	1,309.07	49.72
14.	राँची	प्रमंडलीय वन अधिकारी, राँची	गैर-योजना	906.28	122.08	13.47
			योजना	3,515.05	1,314.99	37.41
			कैम्पा	597.40	211.23	35.36
			कुल	5,018.73	1,648.30	32.84
15.	राँची	प्रमंडलीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी, राँची	गैर-योजना	239.00	22.50	9.41
			योजना	998.78	571.45	57.21
			कैम्पा	97.53	56.64	58.07
			कुल	1,335.31	650.59	48.72

परिशिष्ट 3.11
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 3.6.7)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल व्यय	बचत
1	2217-80-191-A7	0.00	4.80	0.00	0.00
2	2217-80-191-A8	0.00	8.40	0.00	0.00
3	2217-80-191-AA	0.00	2.00	0.00	0.00
4	2217-80-191-AB	0.00	22.80	0.00	0.00
5	2217-80-191-AC	0.00	397.64	0.00	0.00
6	2217-80-796-A7	0.00	4.80	0.00	0.00
7	2217-80-796-A8	0.00	8.40	0.00	0.00
8	2217-80-796-AA	0.00	2.00	0.00	0.00
9	2217-80-796-AB	0.00	18.80	0.00	0.00
10	2217-80-796-AC	0.00	276.06	0.00	0.00
11	2217-80-191-A7	0.00	3.20	0.00	0.00
12	2217-80-191-A8	0.00	5.60	0.00	0.00
13	2217-80-191-AA	0.00	2.00	0.00	0.00
14	2217-80-191-AB	0.00	21.20	0.00	0.00
15	2217-80-191-AC	0.00	240.00	0.00	0.00
16	2217-80-796-A7	0.00	3.20	0.00	0.00
17	2217-80-796-A8	0.00	5.60	0.00	0.00
18	2217-80-796-AA	0.00	2.00	0.00	0.00
19	2217-80-796-AB	0.00	17.20	0.00	0.00
20	2217-80-796-AC	0.00	160.00	0.00	0.00
21	2217-80-191-AE	0.00	6.00	0.00	0.00
22	2217-80-796-AE	0.00	4.00	0.00	0.00
23	2217-03-191-01	74.81	33.67	74.81	0.00
24	2217-80-001-03	0.85	0.01	0.61	0.24
25	2217-80-191-40	13.72	0.74	12.65	1.07
26	2217-80-192-40	6.20	0.42	4.21	1.99
27	2217-80-193-40	4.54	0.24	4.05	0.49
28	2251-00-090-05	7.51	0.02	4.22	3.29
कुल		107.63	1,250.80	100.55	7.08

परिशिष्ट 3.12
सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग न किया जाना
(संदर्भ: कंडिका 3.6.9)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटन	अभ्यर्पण/ पुनर्विनियोजन
1	2217-80-191-73	एसबीएम	20.00	20.00
2	2217-80-191-76	शहरी नवीकरण मिशन, अमृत	120.00	120.00
3	2217-80-191-80	पीपीपी परियोजनाओं का क्रियान्वयन	0.05	0.05
4	2217-80-191-A5	पीएमएवाई के लिए सहायता अनुदान	10.00	10.00
5	2217-80-191-A5	पीएमएवाई के लिए सहायता अनुदान	5.00	5.00
6	2217-80-789-60	एनयूएलएम के लिए यूएलबी को सहायता अनुदान (केन्द्रांश)	10.00	10.00
7	2217-80-789-60	एनयूएलएम के लिए यूएलबी को सहायता अनुदान (केन्द्रांश)	4.00	4.00
8	2217-80-789-99	15वीं वित्त आयोग के अनुशंसा अंतर्गत अनुदान	135.00	135.00
9	2217-80-789-A5	पीएमएवाई के लिए सहायता अनुदान	5.00	5.00
10	2217-80-789-A5	पीएमएवाई के लिए सहायता अनुदान	5.00	5.00
11	2217-80-796-60	एनयूएलएम के लिए यूएलबी को सहायता अनुदान (केन्द्रांश)	19.00	19.00
12	2217-80-796-60	एनयूएलएम के लिए यूएलबी को सहायता अनुदान (केन्द्रांश)	8.00	8.00
13	2217-80-796-73	एसडब्ल्यूएम सहित एसबीएम (केन्द्रांश)	18.00	18.00
14	2217-80-796-76	शहरी नवीकरण मिशन (केन्द्रांश)	80.00	80.00
15	2217-80-796-80	पीपीपी परियोजनाओं का क्रियान्वयन	0.05	0.05
16	2217-80-796-A1	मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लिए अनुदान	2.50	2.50
17	2217-80-796-A5	पीएमएवाई के लिए सहायता अनुदान	5.00	5.00
18	2217-80-796-A5	पीएमएवाई के लिए सहायता अनुदान	20.00	20.00
19	4217-60-190-49	शेयर पूँजी के लिए संस्थाओं को अनुदान	0.10	0.10
20	4217-60-789-53	शहरी भू-प्रबंधन और अधिग्रहण	5.00	5.00
21	4217-60-796-50	सरकारी कर्मचारियों के लिए भवन का निर्माण	135.00	135.00
22	4217-60-796-54	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	50.00	50.00
कुल			656.70	656.70

परिशिष्ट: 3.13

व्यय का वेग (नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग))

(संदर्भ: कंडिका 3.6.10)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय का नाम	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता			
1	राँची	उप सचिव, नगर विकास विभाग	4217-60-051-51	107.86	32.86	30			
			2217-80-193-07	1.66	0.59	35			
			6217-60-193-03	2.02	0.81	40			
			2217-80-789-94	14.75	5.94	40			
			2217-80-191-AD	1.49	1.02	68			
			2217-80-789-93	1.00	0.77	77			
			2217-80-191-34	76.63	65.84	86			
			2217-80-191-A1	0.18	0.15	86			
			2217-80-191-36	3.16	2.75	87			
			4217-60-789-51	40.00	34.96	87			
			2217-80-191-89	90.00	86.35	96			
			2217-80-191-89	40.22	38.78	96			
			2217-80-191-93	1.92	1.88	98			
			2217-80-191-38	5.99	5.99	100			
			2217-80-191-73	15.00	15.00	100			
			2217-80-191-86	30.00	30.00	100			
			2217-80-191-A9	27.42	27.42	100			
			2217-80-191-A9	17.73	17.73	100			
			2217-80-192-87	1.00	1.00	100			
			2217-80-193-88	1.00	1.00	100			
			2217-80-789-89	27.59	27.59	100			
			2217-80-789-89	13.80	13.80	100			
			2217-80-796-38	12.00	12.00	100			
			2217-80-796-73	10.00	10.00	100			
			2217-80-796-89	44.49	44.49	100			
			2217-80-796-89	26.64	26.64	100			
			2217-80-796-A9	19.07	19.07	100			
			2217-80-796-A9	12.95	12.95	100			
			2217-80-796-AD	0.53	0.53	100			
			4217-60-051-52	135.00	135.00	100			
			4217-60-796-52	95.00	95.00	100			
			कुल				876.10	767.92	
			क्षेत्रीय कार्यालय						
राँची नगर निगम	84480010200830679	2.89	1.15	40					
	84480010200830101	0.42	0.30	72					
	84480010240000108	0.03	0.03	100					
	84480010200830646	31.28	31.28	100					
	कुल				34.62	32.76			

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय का नाम	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
		जुड़को	84480012000790102	1.95	0.78	40
			84480012051010545	10.48	4.35	41
			84480012051010545	7.82	3.26	42
			84480012049010679	2.51	1.08	43
			84480012051000545	20.64	10.10	49
			84480012000940679	2.12	1.07	50
			84480012000800679	0.28	0.15	54
			84480012051000545	5.66	3.58	63
			84480012051000545	1.22	1.17	96
			84480012051010545	0.92	0.89	97
			84480012000790679	1.91	1.88	98
			84480012000340679	0.15	0.15	100
			84480012000790102	0.62	0.62	100
			84480012038000679	1.01	1.01	100
			84480012051000545	4.46	4.46	100
			84480012051010545	2.89	2.89	100
			84480012051010545	0.39	0.39	100
			84480012051010545	0.55	0.55	100
			84480012051010545	4.24	4.24	100
			84480012052010545	0.06	0.06	100
			84480012093000679	0.11	0.11	100
		कुल	69.99	42.79		
2	धनबाद	धनबाद नगर निगम	84480010200120679	0.04	0.01	36
			84480010203000763	1.47	0.79	54
			कुल	1.51	0.80	
		चिरकुंडा नगर परिषद	84480010203000763	0.03	0.02	56
			84480010287000679	1.58	1.58	100
			कुल	1.61	1.60	
3	जमशेदपुर	जुगसलाई नगर परिषद	84480010203000763	0.02	0.01	50
			84480010206000679	0.03	0.02	50
			कुल	0.05	0.03	
		अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर	844800102A1010679	0.16	0.06	37
			84480010234010679	9.04	3.61	40
			84480010202000763	0.38	0.16	42
			84480010200790679	0.04	0.02	50
			कुल	9.62	3.85	
		नगर आयुक्त, मानगो	84480010286000679	1.53	0.62	41
			84480010233010679	0.95	0.64	67
कुल	2.48		1.26			

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय का नाम	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
4	दुमका	नगर परिषद, दुमका	84480010200330101	0.03	0.02	67
			84480010200060101	0.01	0.01	100
			कुल	0.04	0.03	
5	देवघर	नगर निगम, देवघर	84480010238010679	0.05	0.02	47
			84480010286000679	2.19	2.19	100
			कुल	2.24	2.21	
कुल योग				998.26	852.50	

परिशिष्ट 3.14

तीन वर्ष से अधिक समय तक पी.एल. खातों में रखी गई राशि (नमूना-जाँच की गई योजनाओं में)

(संदर्भ: कंडिका 3.6.12.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नमूना जाँच की गई योजनाओं के नाम	1 अप्रैल 2021 को अवशेष	31 मार्च 2022 को अवशेष	31 मार्च 2023 को अवशेष	31 मार्च 2024 को अवशेष
झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास कंपनी लिमिटेड (जुड़को), राँची					
1	राजभवन से बूटी मोड सड़क	25.59	25.59	25.59	25.59
2	राजभवन से काँटाटोली सड़क	59.92	59.92	59.92	59.92
3	पीएमयू सेल का निर्माण	0.32	0.32	0.32	0.32
4	स्मार्ट सिटी स्टाफ आवासीय क्वार्टर	5.00	5.00	5.00	5.00
5	बिरसा चौक से राजभवन सड़क	99.20	99.20	99.20	99.20
6	नूक्लीअस मॉल एफओबी	3.50	3.50	3.50	3.50
7	वे लीव पर्मिशन आरडब्ल्यूएसएस पी-2बी	0.77	0.77	0.77	0.77
8	किशोरगंज चौक एफओबी	4.93	4.93	4.93	4.93
9	जीईएल चर्च कॉम्प्लेक्स एफओबी	2.97	2.97	2.97	2.97
10	कालीरेखा कुष्ठ आश्रम	0.36	0.36	0.36	0.36
	कुल	202.56	202.56	202.56	202.56
राँची नगर निगम, राँची					
11	पुराना शीर्ष	14.06	14.06	14.06	14.06
12	कार्यालय वेतन	0.05	0.05	0.05	0.05
13	आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान	0.43	0.43	0.43	0.43
14	13वीं वित्त आयोग	3.45	3.45	3.45	3.45
15	एसबीएम आयएचएचएल	1.49	1.49	1.49	1.49
16	13वीं वित्त आयोग	42.53	42.53	42.53	42.53
17	कौशल विकास	3.56	3.56	3.56	3.56
18	13वीं वित्त आयोग	4.83	4.83	4.83	4.83
19	सामान्य व्यय	0.90	0.90	0.90	0.90
20	13वीं वित्त आयोग	2.60	2.60	2.60	2.60
	कुल	73.90	73.90	73.90	73.90
धनबाद नगर निगम, धनबाद					
21	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन	3.15	3.15	3.15	3.15
22	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन	17.82	17.82	17.82	17.82
23	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन	0.33	0.33	0.33	0.33
24	सामुदायिक शौचालय सह कौशल विकास केंद्र	0.73	0.73	0.73	0.73
25	14वें वित्त आयोग सामान्य बुनियादी अनुदान	1.38	1.38	1.38	1.38
26	14वें वित्त आयोग निष्पादन अनुदान (एन)	2.61	2.61	2.61	2.61

क्र. सं.	नमूना जाँच की गई योजनाओं के नाम	1 अप्रैल 2021 को अवशेष	31 मार्च 2022 को अवशेष	31 मार्च 2023 को अवशेष	31 मार्च 2024 को अवशेष
27	14वें वित्त आयोग निष्पादन अनुदान (एन)	18.27	18.27	18.27	18.27
28	14वें वित्त आयोग निष्पादन अनुदान (सी)	19.66	19.66	19.66	19.66
कुल		63.95	63.95	63.95	63.95
चिरकुंडा नगर परिषद, धनबाद					
29	उपलब्ध नहीं	0.34	0.34	0.34	0.34
30	13वीं वित्त आयोग	0.05	0.05	0.05	0.05
31	सामुदायिक भवन-सह-कौशल विकास केंद्र का निर्माण	0.22	0.22	0.22	0.22
32	14वीं वित्त आयोग	0.74	0.74	0.74	0.74
कुल		1.35	1.35	1.35	1.35
जुगसलाई नगर परिषद, जमशेदपुर					
33	सीवरेज जल निकासी	0.02	0.02	0.02	0.02
34	पुराना (सामान्य)	0.10	0.10	0.10	0.10
35	शहरी परिवहन	0.03	0.03	0.03	0.03
36	सड़क	0.02	0.02	0.02	0.02
37	नागरिक सुविधा	0.02	0.02	0.02	0.02
38	रिक्शा/सिलाई मशीन	0.06	0.06	0.06	0.06
39	शौचालय सह कौशल विकास केंद्र	0.03	0.03	0.03	0.03
40	आइजीएनओएपीएस (पेन)	0.02	0.02	0.02	0.02
41	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	0.03	0.03	0.03	0.03
42	ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल)	0.03	0.03	0.03	0.03
कुल		0.36	0.36	0.36	0.36
अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर					
43	शौचालय	0.14	0.14	0.14	0.14
44	शौचालय	2.22	2.22	2.22	2.22
45	स्वच्छता उपकरणों का क्रय	0.85	0.85	0.85	0.85
46	डीपीआर की तैयारी	1.86	1.86	1.86	1.86
47	रिक्शा/सिलाई मशीन	2.60	2.60	2.60	2.60
48	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)	0.09	0.09	0.09	0.09
49	एसडीआरएफ	1.50	1.50	1.50	1.50
50	बिरसानगर में जलापूर्ति योजना	2.17	2.17	2.17	2.17
51	एलईडी स्ट्रीट लाइट	0.14	0.14	0.14	0.14
52	बिजली बिल	0.11	0.11	0.11	0.11
53	एसबीएम (आईईसी)	0.78	0.78	0.78	0.78
कुल		12.46	12.46	12.46	12.46
मानगो नगर निगम, जमशेदपुर					
54	सामान्य शीर्ष	1.02	1.02	1.02	1.02
55	मानगो जल आपूर्ति	4.96	4.96	4.96	4.96
56	डीसी शीर्ष	0.18	0.18	0.18	0.18
57	डीसी शीर्ष 2	0.08	0.08	0.08	0.08

क्र. सं.	नमूना जाँच की गई योजनाओं के नाम	1 अप्रैल 2021 को अवशेष	31 मार्च 2022 को अवशेष	31 मार्च 2023 को अवशेष	31 मार्च 2024 को अवशेष
58	शौचालय निर्माण	0.17	0.17	0.17	0.17
59	नागरिक सुविधा	0.13	0.13	0.13	0.13
60	कौशल विकास	0.13	0.13	0.13	0.13
61	गरीबी उन्मूलन	1.25	1.25	1.25	1.25
62	एमएमएसवाई नया	0.36	0.36	0.36	0.36
	कुल	8.28	8.28	8.28	8.28
देवघर नगर निगम, देवघर					
63	कौशल विकास केंद्र	0.24	0.24	0.24	0.24
64	डे एनयूएलएम/ई-रिक्शा	0.51	0.51	0.51	0.51
65	एसबीएम-व्यक्तिगत शौचालय (सी)	0.51	0.51	0.51	0.51
66	एसबीएम-व्यक्तिगत शौचालय (पी)	0.89	0.89	0.89	0.89
67	अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड भूमि अधिग्रहण	0.06	0.06	0.06	0.06
	कुल	2.21	2.21	2.21	2.21
	कुल योग	365.07	365.07	365.07	365.07

परिशिष्ट 4.1

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 4.16)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2018-19
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2018-19
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	दिसम्बर 2019
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2013-14
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2014-15
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2014-15
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2010-11
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2012-13
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूंटी	2015-16
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	अक्टूबर 2016
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	2015-16
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2015-16
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2009-10
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21	स्वास्थ्य	जेएसएचएमआरएस	राँची	2015-16
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सराइकेला खरसावाँ	2013-14
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	(प. सिंहभूम) चाईबासा	2018-19
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2018-19
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2022-23
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	2020-21
28	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	फरवरी 2023 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
29	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	देवघर	*
30	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	लातेहार	*
31	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	हजारीबाग	*
32	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	गिरिडीह	*
33	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	गढ़वा	*
34	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	राँची	*
35	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	*
36	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	रामगढ़	*

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
37	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	*
38	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	सिमडेगा	*
39	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	कोडरमा	*
40	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	दुमका	*
41	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	गोड्डा	*
42	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	पाकुड़	*
43	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	सरायकेला	*
44	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	लोहरदगा	*
45	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	बोकारो	*
46	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	चतरा	*
47	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	धनबाद	*
48	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	गुमला	*
49	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	पलामू	*
50	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	साहेबगंज	*
51	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	जामताड़ा	*
52	ग्रामीण विकास	डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन	खूँटी	*
53	शिक्षा (उ. एवं त.)	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	जुलाई 2024
54	उड्डयन	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राँची	राँची	2015-16
55	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ एप्लीकेशन (जैप-आई.टी.)	राँची	जुलाई 2024 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
56	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अन्तरिक्ष क्रियान्वयन केंद्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57	वन	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58	आई.टी. एवं ई- गवर्नेंस	राज्य सूचना आयोग	राँची	दिसंबर 2016
59	उद्योग	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2021-22
60	उद्योग	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2022-23
61	उद्योग	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2021-22
62	वन	लाह ट्रीटमेंट प्लांट, लातेहार	लातेहार	2008-09
63	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, झारखण्ड	राँची	2014-15
64	शिक्षा (उ. एवं त.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	जुलाई 2023 (अनुपालन लेखापरीक्षा)
65	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
66	विधि	कानूनी सेवाएं समिति, उच्च न्यायालय, राँची	राँची	2008-09
67	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	झारखण्ड राज्य हिन्दु धार्मिक ट्रस्ट परिषद	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
68	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	झारखण्ड खेल प्राधिकरण (एसएजे एचए)	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
69	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	फुटबॉल स्टेडियम, मोराबादी	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
70	पर्यटन, कला संस्कृति	झारखण्ड कला मंदिर, होटवार	राँची	लेखापरीक्षित नहीं

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
	एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग			
71	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	छऊ नृत्य कला केंद्र	सराईकेला	लेखापरीक्षित नहीं
72	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र	सिल्ली	लेखापरीक्षित नहीं
73	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/परिषद, डोरंडा, राँची	राँची	2022-23
74	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2019-20
75	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2004-05
76	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
77	वन	वन विकास प्राधिकरण	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
78	सूचना एवं जन संपर्क	सरकारी प्रेस	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
79	शिक्षा	निदेशक, आर.के मिशन आश्रम, मोरावादी	राँची	2007-08
80	वन	झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क)	राँची	2023-24
81	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड	राँची	मार्च 2020
82	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	सीईओ, झारखण्ड कौशल विकास मिशन	राँची	मार्च 2024
83	ग्रामीण विकास	झारखण्ड सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी	राँची	*
84	ग्रामीण कार्य	झारखण्ड ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	राँची	-

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड के कार्यालय में संधारित अभिलेख

*ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1 दिनांक 10.06.2024 के अनुसार डीआरडीए को जिला परिषद में विलय कर दिया गया है। झारखण्ड सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी, राँची और जिला स्तर पर इसकी 24 सहायक इकाइयों को डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के नाम से ऑडिट यूनिवर्स में शामिल किया गया है।

प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व}/2]*100$
ब्याज विस्तार	जीएसडीपी वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	$\text{प्राप्त ब्याज } [(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्ति घाटा सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
ऋण धारणीयता	ऋण-जीएसडीपी अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण जीएसडीपी अनुपात अंततः गिरेगा।
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्ति से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्ति के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निर्बंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
आकस्मिक निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिक निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूँजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदग्रहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. विपत्र	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर